

**उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)**

वन मुख्यालय 85, राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135-2744077 ई-मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in

web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक-

694/16-17

दिनांक, 02 मार्च, 2017

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी  
उत्तराखण्ड।

**विषय:- क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग को आगामी तीन वर्षों में पूर्ण करने हेतु कार्ययोजना।**

महोदय,

अवगत है कैम्पा के गठन का मुख्य दायित्व क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों को निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना है। विगत वर्षों में देखा गया है कि क्षतिपूरक वनीकरण अपेक्षित मात्रा से अत्यधिक कम हुआ है, जिसके कारण वर्तमान तक कुल 12974 है० का बैकलॉग है। यह गंभीर स्थिति है तथा भारत सरकार द्वारा बार-बार इसे युद्ध स्तर पर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। कैम्पा का मुख्य उद्देश्य क्षतिपूरक वनीकरण है। अतः यह कार्य कैम्पा की सर्वोच्च प्राथमिकता में आता है। इसको पूर्ण न कराये जाने की स्थिति में उत्तराखण्ड कैम्पा की अन्य योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः इस विषय पर गंभीर प्रयास अपेक्षित है। इस संबंध में निम्न बिन्दु उल्लेखनीय है:-

1. क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉगों को संलग्न तालिका अनुसार आगामी 3 वर्षों में पूर्ण किया जाना है। संलग्न तालिका के कॉलम संख्या-2 में उपरोक्त के आधार पर प्रभागवार बैकलॉग की सूचना संकलित है। वर्ष 2016-17 में इसी आधार पर प्रभागों को कुल 3500 है० अग्रिम मृदा कार्य का लक्ष्य कॉलम संख्या-3 के अनुसार वर्ष 2016-17 में आवंटित कर, 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है। इसी प्रकार तालिका के कॉलम संख्या-4 व 5 में क्रमशः वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 में पूर्ण किए जाने वाले क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्यों के लक्ष्यों का विवरण दिया गया है।
2. कृपया आपके प्रभाग से संबंधित क्षतिपूरक वनीकरण के वास्तविक बैकलॉग का प्रकरणवार संकलन कर, संलग्न तालिका से मिलान करते हुए, आगामी 3 वर्ष के लक्ष्यों के आवंटन में किसी प्रकार के संशोधन/विचलन के संबंध में तदनुसार इस कार्यालय को दिनांक 08 मार्च, 2017 तक अवगत कराने का कष्ट करें। उक्तानुसार क्षतिपूरक वनीकरण बैकलॉग को पूर्ण किए जाने के उद्देश्य से अपने प्रभाग से संबंधित क्षतिपूरक वनीकरण मद में नर्सरी उगान/पौध उगान की आवश्यकता हेतु वर्षवार (वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक) मांग शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें, ताकि उत्तराखण्ड कैम्पा स्तर से तदनुसार धनराशि का प्राविधान किया जा सकें।
3. क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों की अनिवार्यता एवं समयबद्धता को देखते हुए इसे निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किए जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में विशेष रूप से अवगत कराना है कि यदि क्षतिपूरक वनीकरण के निर्धारित लक्ष्यों की उक्तानुसार प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की जाती है, तो उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा संबंधित प्रभाग को कैम्पा योजना के अन्य मदों में भी धनराशि अवमुक्त की जानी सम्भव नहीं होगी।
4. पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 520/2016-17 दिनांक 15.12.2016 के माध्यम से भी क्षतिपूरक वनीकरण बैकलॉग को पूर्ण किए जाने हेतु आपके प्रभागों से तीन वर्षीय प्लान मांग गया था, जिन वन प्रभागों से इसके सापेक्ष सूचना प्राप्त हुई है उन्हें संलग्न तालिका में तारांकित कर दर्शाया गया है।

5. उपरोक्त के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय वन प्रभागों द्वारा नर्सरी उगान हेतु भी धनराशि प्राप्त की गई है, ऐसे प्रभागों से अपेक्षित है कि वृक्षारोपण हेतु मांग करते समय इनमें से पौधों की धनराशि को कम करते हुए प्रस्तुत किया जाये, चूंकि इस हेतु पूर्व में भी मांग की गई है। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह वित्तीय अनियमितता होगी।

कृपया तदनुसार अपने प्रभाग से संबंधित क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग के लक्ष्यों का मिलान करते हुए, इसके अनुसार वर्षवार नर्सरी उगान की मांग अनिवार्य रूप से दिनांक 08 मार्च, 2017 तक अपने मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। यदि उपरोक्त के क्रम में आपके द्वारा प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जायेगा कि संबंधित वन प्रभाग, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्षवार आवंटित लक्ष्यों से पूर्णतः सहमत है एवं उनके द्वारा इसी अनुसार वर्षवार क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों को पूर्ण किया जायेगा।

उपरोक्त लक्ष्य अनंतिम हैं, प्रभागों द्वारा स्पष्ट सूचना प्राप्त होने पर ही इन्हें अन्तिम रूप देते हुए आगे धनराशि आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। अन्त में पुनः स्पष्ट करना है कि धनराशि की प्रत्याशा में कोई भी कार्य न कराया जाये, बजट आवंटन की दशा में ही कार्य संपादित कराये जाये।

**संलग्नक-उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 694 /16-17 तददिनांकित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून।

(समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 694 /16-17 तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया कैम्पा योजना के अर्न्तगत किए जाने वाले कार्यों में क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों को प्राथमिकता से लेते हुए इस हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्यवाही किए जाने के संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों/संबंधित प्रभागीय वनाधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करते हुए इनका परीक्षण कर विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

1. मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल, मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं, एवं मुख्य वन संरक्षक शिवालिक जोन।
2. समस्त वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड।

(समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड कैम्पा

## 3 Year CA ASW Plan

Name of Implementing Agencies	CA Balance (ha)	CA Balance Clearance Plan (ASW) Tentative			Total
		2016-17	2017-18	2018-19	
		Phy (ha)	Phy (ha)	Phy (ha)	Phy (ha)
1	2	3	4	5	6
NARENDRA NAGAR	374.77	120.00	120.00	134.77	374.77
TEHRI	238.25	75.00	138.25	25.00	238.25
UTTARKASHI F.D	405.07	75.00	200.00	130.07	405.07
ALAKNANDA SOIL	5.81	0.00	1.94	3.87	5.81
BADRINATH F.D*	583.43	300.00	283.43		583.43
GARHWAL F.D	701.28	75.00	300.00	316.28	691.28
RUDRAPRAYAG F.D	196.98	76.01	75.00	45.97	196.98
DEHRADUN F.D	1364.80	300.00	400.00	643.40	1343.40
Soil Conservation landsowne*		61.79			61.79
HARIDWAR F.D*	276.81	305.00	100.00	105.03	470.64
LANSDOWNE F.D	-18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
KALSI S.C	105.63	125.00	0.00	0.00	125.00
CHAKRATA F.D	388.03	100.00	150.00	138.03	388.03
MUSSOORIE F.D	116.42	50.00	50.00	16.42	116.42
TONS F.D*	50.67	109.39			109.39
UPPER YAMUNA BARKOT F.D	116.09	0.00	38.70	77.39	116.09
ALMORA F.D	713.49	200.00	225.00	288.49	713.49
ALMORA CIVIL SOYAM	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
BAGESHWAR F.D*	181.96	182.00	118.84	103.41	404.25
CHAMPAWAT F.D*	299.01	122.00	99.67	77.34	299.01
PITHORAGARH F.D*	1679.74	375.00	474.00	1144.00	1993.00
NAINITAL F.D	216.33	100.00	72.11	44.22	216.33
RAMNAGAR S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMNAGAR F.D	31.22	0.00	10.41	20.81	31.22
TARAI CENTRAL	67.34	0.00	22.45	44.89	67.34
TARAI EAST	1947.25	150.00	600.00	1197.25	1947.25
TARAI WEST	108.97	300.00	0.00	0.00	300.00
HALDWANI F.D	893.97	70.00	297.99	525.98	893.97
KALAGARH TIGER RESERVE	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
KEDARNATH WILDLIFE DIV.	447.50	118.68	149.17	179.66	447.50
NANDA DEVI	425.09	100.13	141.70	183.26	425.09
GANGOTRI N.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAJAJI N.P	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11658.8616</b>	<b>3500.00</b>	<b>4068.64</b>	<b>5445.55</b>	<b>12974.80</b>

\* as per 3 year plan received from forest divisions in response to this office letter no. 520/2016-17 dt. 15.12.2016